



2026:AHC:16559

उच्च न्यायालय, न्यायिक पीठ इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2214 वर्ष 2026

विशाल राजपूत

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, श्रीमती कीर्ति पाण्डेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, इन्द्र नारायण, रजत सिंह

न्यायालय संख्या - 66

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची का पुनरीक्षण किया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डेय, सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इन्द्र नारायण तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री दीपक कुमार सिंह को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक द्वारा मुकदमा **अपराध संख्या 434 वर्ष 2024, अंतर्गत धारा 103(1), 309(6), 238, 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता, थाना माधुबन बापूधाम, जनपद गाजियाबाद** में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत की प्रार्थना की गई है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई संबंध नहीं है, जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा उसका नाम उसके स्वयं के कथित इकबालिया बयान के आधार पर सामने आया है, जिसका विधि की दृष्टि में कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कहा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग डेढ़ माह की देरी से दर्ज की गई है तथा उक्त देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। कई आभूषणों की झूठी बरामदगी आवेदक पर आरोपित की गई है।
6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि आवेदक दिनांक 23.10.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

7. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया, किन्तु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन नहीं कर सके तथा यह तथ्य भी विवादित नहीं किया गया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अपराध की प्रकृति, दंड की गंभीरता, प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलंब तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है तथा उसके विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रथम दृष्टया यह न्यायालय आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने के लिए उपयुक्त मामला पाता है। अतः जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
9. आदेश दिया जाता है कि आवेदक विशाल राजपूत को उपर्युक्त मुकदमा अपराध में व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रत्येक समान राशि में प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाएगा। निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत दी जाती है—
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को प्रभावित/धमकाएगा नहीं।
 - (iii) आवेदक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां विचारण न्यायालय को साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र मत बनाने में किसी प्रकार बाधित नहीं करेंगी।

दिनांक : 22 जनवरी, 2026

सिद्धांत

(कृष्ण पहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।